

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।
कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष-2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-61, दिनांक-24.05.2024 एवं आवंटनादेश संख्या-41, दिनांक-24.05.2024 के द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत (केन्द्रांश मद 60 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 2891.00 लाख (अठारह स करोड़ एकानबे लाख रू०) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू०) कुल 4891.00 लाख (अड़तालीस करोड़ एकानबे लाख रू०) मात्र राशि की स्वीकृति एवं आवंटन इस कार्यालय को प्राप्त है।

2. प्राप्त आवंटनादेश की कंडिका-3 के अनुसार स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनांक-23.03.2021 एवं F.No. 1(13)/PFMS/FCD/2022, दिनांक-07.07.2021 के अंतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

3. प्राप्त आवंटनादेश की कंडिका-4 के अनुसार आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची आवंटन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर राशि की निकासी कर SNA के खाता में संधारित करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित IA को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No.1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 की कंडिका-3 के अनुरूप Drawing Limit राशि निर्धारित करेंगे एवं कंडिका-7 "The bank's software system should be able to monitor the drawing limits of the IAs who should be able to draw funds on real time basis from the SNA's account as and when payments are to be made. The selected bank should ensure proper training and capacity building of branch managers and other staff for smooth operation of these accounts " का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

4. उपर्युक्त प्राप्त आवंटन अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 2891.00 लाख (अठारह स करोड़ एकानबे लाख रू०) एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू०) कुल 4891.00 लाख (अड़तालीस करोड़ एकानबे लाख रू०) मात्र की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. (i) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना:- कुल भारित व्यय की राशि 2891.00 लाख (अठारह स करोड़ एकानबे लाख रू०) मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण - 03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण - लघु शीर्ष - 277 - शिक्षा - उपशीर्ष - 94 - ओ०बी०सी० के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान - 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा - 51C22250327794010650" के अन्तर्गत विकलनीय है।

(ii) जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना:- कुल भारित व्यय की 2000.00 लाख (बीस करोड़ रू०) मात्र वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनान्तर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण - 03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण - लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना - उपशीर्ष - 94 - ओ०बी०सी० के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान - 50 - छात्रवृत्ति/वजीफा - 51C22250379694010650" के अन्तर्गत विकलनीय है।

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची घोषित है। कोषागार से उपर्युक्त राशि की निकासी हेतु अवर सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची को प्राधिकृत किया जाता है।

7. संबंधित उपायुक्त एवं संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। वरीय नियंत्री पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची होंगे।

8. विभागीय संकल्प संख्या 2587, दिनांक-29.08.2022 के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या-2590, दिनांक- 29.08.2022 में अंकित निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उपायुक्त द्वारा छात्र-छात्राओं की सूची स्वीकृत एवं अनुमोदित किये जाने के उपरान्त छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा छात्र-छात्राओं का आधार आधारित खाता में APBS (Aadhar Payment Bridge System) के माध्यम से सीधे भुगतेय होगा।
10. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित राशि की निकासी के पश्चात किसी कारणवश छात्र/छात्राओं के बचत खातों में PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि अन्तरित नहीं होने पर छात्रवार पूर्ण विवरण को उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। इस समस्या के निराकरण के लिए परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. यदि किसी छात्र/छात्रा को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की किसी भी अन्य छात्रवृत्ति की योजना का लाभ मिल रहा हो तो उसे इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उपायुक्त लाभुकों को देय छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान की जाँच सुनिश्चित करते हुए संतुष्ट हो लेंगे कि वास्तव में छात्र-छात्राओं को राशि प्राप्त हुई है या नहीं।
13. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
15. संबंधित परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए./संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी योजना से संबंधित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह निम्न प्रपत्र में विभाग को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र०	संस्था/कॉलेज का नाम	भुगतान की गयी राशि	लाभुक		कुल लाभुक (छात्र-छात्रा) (4+5)	अभ्युक्ति
			छात्र	छात्रा		
1	2	3	4	5	6	7

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. लेखा-शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची को आदेश दिया जाता है 4891.00 लाख (अड़तालीस करोड़ एकानबे लाख रू०) मात्र की निकासी कर एच०डी०ए०सी० बैंक लि०, राँची क्लब शौपिंग कॉम्प्लेक्स, राँची के SNA खाता संख्या-50100384146431, IFS Code- HDFC0000150 में राशि हस्तान्तरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापांक- 943

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

राँची, दिनांक- 07-6-2024

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक- १५३

प्रतिलिपि- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय/लेखा-शाखा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, राँची क्लब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
आदेश दिया जाता है कि राशि SNA खाता में हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेंगे।

राँची, दिनांक- ०७-६-२०२४

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

राँची, दिनांक- ०७-६-२०२४

ज्ञापांक- १५३

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/बजट शाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अमित कुमार, सी०जी०जी० के प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

राँची, दिनांक- ०७-६-२०२४

ज्ञापांक- १५३

प्रतिलिपि- सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

वित्तीय वर्ष-2024-25 में पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के कल्याणार्थ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में उपावंटित राशि की विवरणी :-

क्र०	जिला	2024-25 में उपावंटित राशि
अन्य क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत (OSP)		
1.	बोकारो	
2.	चतरा	18371796.00
3.	देवघर	10505079.00
4.	धनबाद	13389210.00
5.	गढ़वा	28119652.00
6.	गिरिडीह	12943120.00
7.	गोड्डा	37125801.00
8.	हजारीबाग	19743906.00
9.	कोडरमा	67215678.00
10.	पलामू	24048409.00
11.	रामगढ़	34031587.00
	कुल	23605762.00
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत (TSP)		
12.	दुमका	8493963.00
13.	जमशेदपुर	22050462.00
14.	गुमला	4773288.00
15.	जामताड़ा	3281939.00
16.	खूंटी	2243656.00
17.	लातेहार	1961574.00
18.	लोहरदगा	3307326.00
19.	पाकुड़	3420282.00
20.	राँची	123293799.00
21.	साहेबगंज	3226655.00
22.	सरायकेला	14004876.00
23.	सिमडेगा	1742737.00
24.	चाईबासा	8199443.00
	कुल	200000000.00
	कुल योग (OSP+TSP)	489100000.00
कुल (अड़तालीस करोड़ एकानवे लाख रु०) मात्र		

25/7/24

आदिवासी कल्याण आयुक्त।